## अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा

# राष्ट्रीय सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जून।

हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के नतीजों को 'भारत की विकास यात्रा जारी रखने के लिए जनादेश' बताते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की 'सर्वोच्च प्राथमिकता' है। साथ ही उन्होंने लक्षित हमले और हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भविष्य में भारत अपनी सुरक्षा के लिए 'हर संभव कदम उठाएगा।

ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में सत्रहवीं लोकसभा के पहले सत्र में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने वर्तमान सरकार के पांच वर्षों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा पेश की। उन्होंने कहा कि लोकसभा के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में, 78 महिला सांसदों का चुना जाना नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है। इस लोकसभा में लगभग आधे सांसद पहली बार निर्वाचित हुए हैं। इस चुनाव में देश की जनता ने बहुत ही स्पष्ट जनादेश दिया है। सरकार के पहले कार्यकाल के मूल्यांकन के बाद, देशवासियों ने दूसरी बार और भी मजबूत समर्थन दिया है। ऐसा कर देशवासियों ने वर्ष 2014 से चल रही विकास यात्रा को निर्बाध व और तेज गति से आगे बढ़ाने का जनादेश दिया है।

राष्ट्रपति ने लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के 61 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और दुनिया में भारत के लोकतंत्र की साख बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवादी ठिकानों पर पहले लक्षित हमला और फिर पुलवामा हमले के बाद हवाई हमला करके भारत ने अपने इरादों और क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। भविष्य में भी अपनी सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि नया भारत 'संवेदनशील' भी होगा और 'आर्थिक रूप से समृद्ध' भी। लेकिन इसके लिए देश का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यही कारण है कि आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए विदेशी, आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। इससे देश के अनेक क्षेत्रों में सामाजिक असंतुलन की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। इसके साथ ही आजीविका के अवसरों पर भी भारी दबाव अनुभव किया जा रहा है। मेरी सरकार ने यह तय किया है कि घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों में 'नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस' की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जाएगा। घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। सरकार जहां घुसपैठियों की पहचान कर रही है, वहीं आस्था के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए परिवारों की सुरक्षा के लिए भी वह प्रतिबद्ध है। इसके लिए भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को उचित संरक्षण देते हुए नागरिकता कानून में संशोधन का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन हो, आर्थिक और साइबर अपराध हों, भ्रष्टाचार और काले धन पर कार्रवाई हो या फिर ऊर्जा सुरक्षा, हर मुद्दे पर भारत के विचारों को विश्व समुदाय समर्थन देता है। आज आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा विश्व, भारत के साथ खड़ा है। देश में बड़े आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करना इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार की 'पड़ोसी देश पहले' (नेबरहुड फर्स्ट) की नीति दक्षिण एशिया एवं निकटवर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की हमारी सोच का प्रमाण है। इस पूरे क्षेत्र की प्रगति में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। यही कारण है कि इस क्षेत्र में व्यापार, कनेक्टिविटी और जनता के बीच संपर्क को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने तीन तलाक प्रथा का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में हर बहन-बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के मकसद से 'तीन तलाक' और 'निकाह-हलाला' जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और अधिक सम्मानजनक एवं बेहतर बनाने वाले इन सभी प्रयासों में अपना सहयोग दें। पिछले 21 दिनों में किसान, व्यापारियों समेत समाज के सभी वर्गों के लिए कई फैसले किए और उन पर अमल शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार एक मजबूत, सुरक्षित और समावेशी भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

---

**यू.पी. एसबेस्टस लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालय : पी.ओ. मोहनलालगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226301
CIN: L26942UP1973PLC003743, फोन नं. : +91 7897885557/58
ईमेल: upasbestos@upasbestos.com, वेब: www.upal.in

### सूचना

एतद्‌द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की अतिरिक्त साधारण आम बैठक पी.ओ. मोहनलालगंज, लखनऊ-226301, उत्तर प्रदेश, में स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बुधवार, 10 जुलाई, 2019 को 11:00 बजे पर आयोजित की जाएगी।

प्रस्तावित प्रस्तावों की स्थापना की बैठक की सूचना, सदस्यों को भेजी गई है। नोटिस और कहा गया दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.upal.in पर उपलब्ध हैं और अतिरिक्त साधारण आम बैठक की तारीख तक व्यवसाय के दौरान सभी कार्य दिवसों पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए कहे गए दस्तावेजों की प्रतियां भी उपलब्ध हैं। कंपनी ने 19 जून, 2019 को नोटिस प्रेषण पूरा कर लिया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और लिस्टिंग अनुबंध के उपनियम 44 के नियम 20 के साथ पढ़ा गया है, आपकी कंपनी अपने सदस्यों को अतिरिक्त साधारण आम बैठक में लेनदेन किए जाने वाले प्रस्तावों पर मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है। कंपनी ने मैसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड ('कार्वी' या 'सेवा प्रदाता') के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग सुविधा की व्यवस्था https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध कराई है।

वह सदस्य जिनका नाम कट ऑफ तारीख यानी 2 जुलाई, 2019 के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देता है केवल रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने वाले सदस्य बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

बैठक के नोटिस को प्रेषित करने और 2 जुलाई, 2019 को शेयर धारण करने के बाद कंपनी का सदस्य बनने वाला कोई भी व्यक्ति, जो पहले से ही कार्वी के साथ पंजीकृत है, अपने मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति एजीएम नोटिस के प्रेषण के बाद, लेकिन, कट ऑफ तारीख यानी 2 जुलाई, 2019 को या उससे पहले कंपनी का सदस्य बन गया है, तो वह उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के लिए ई-मेल आईडी evoting@karvy.com पर कार्वी को लिख सकता है (या) श्रीमती सी. शोभा आनंद, कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट-यू.पी. एस्बेस्टोस लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लाट 31-32, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रामगुडा, सेरिलिगमपल्ली, हैदराबाद-500032, फोन नंबर 040-67162222 से/पर संपर्क कर सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा 7 जुलाई, 2019 को सुबह 09:00 बजे (भा.म.स) शुरू होगी और 9 जुलाई, 2019 को 17:00 बजे (भा.म.स) समाप्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए रिमोट ई-वोटिंग अक्षम कर दी जाएगी।

कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में कंपनी सचिव श्री आदित्य अग्रवाल को नियुक्त किया है।

- इस प्रकार सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 की आवश्यकता और लिस्टिंग अनुबंध की धारा 42 के अनुसार कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर 2 जुलाई, 2019 से 9 जुलाई, 2019 तक बंद रहेगा (दोनों दिन समावेशी)।

बैठक में भाग लेने और मतदान करने के हकदार एक सदस्य को उसके बजाय चुनाव में भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य नहीं होना चाहिए। वैध होने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने वाले उपकरण को बैठक के शुरू होने से 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

कृते यू.पी. एस्बेस्टस लिमिटेड
हस्ता/-
(मनीष कुमार सिंह)
कंपनी सचिव
एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 19.06.2019
स्थान : लखनऊ

---

### प्रपत्र ए
### सार्वजनिक उद्‌घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]

**मै. बीटा इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ**

**संबंधित विवरण**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम | मै. बीटा इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि | 11.2.2008 |
| 3. | वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत है | कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत आरओसी दिल्ली |
| 4. | कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या | U45200DL2008PTC173874 |
| 5. | कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता | पंजीकृत कार्यालयः बी-4/45, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली- 110029, प्रशा. कार्यालयः 2, एवैन्यू-4, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034, परियोजना साईटः नंद नगर इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, ग्राम महुआ खेरागंज, काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड |
| 6. | कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि | 14.6.2019 (आदेश की प्रति) 18.6.2019 को आईआरपी को उपलब्ध करायी गई।) |
| 7. | दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि | 11.12.2019 (दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि से 180 दिन) |
| 8. | प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के रूप में कार्यरत है | सेनापति वराहा सत्यनारायण, पंजी. सं. IBBI/IPA-003/IP-N00063/ 2017-18/10549 |
| 9. | बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का पता एवं ईमेलः | फ्लैट- 201, पर्ल प्लॉक, श्री साईराम मैनर अपार्टमेन्ट्स, युसुफगुडा, हैदराबाद-500045<br>ई-मेलः svsatya30@gmail.com |
| 10. | अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल | एटलस फाइनांसियल रिसर्च एंड कन्सल्टिंग प्रा.लि., प्लॉट नं. 5, केपीआर एवैन्यू, जयहिन्द एन्क्लेव, माधापुर, हैदराबाद-500081, ई-मेलः ip.betainfratech@atlasfin.in |
| 11. | दावे जमा करने की अंतिम तिथि | 28.06.2019 |
| 12. | क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया | लागू नहीं |
| 13. | किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम) | लागू नहीं |
| 14. | (क) संबंधित प्रपत्र तथा<br>(ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है | वेबलिंक https://ibbi.gov.in/downloadform.html<br>भौतिक पताः जैसा कि ऊपर क्रम सं. 10 में वर्णित है। |

एतद्‌द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 14.6.2019 को मै. बीटा इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्‌द्वारा मै. बीटा इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 28.6.2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये (लागू नहीं) प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाणों को जमा करने पर दंडित किया जा सकता।

हस्ता./-
तिथिः 19.6.2019 — सेनापति वराहा सत्यनारायण
स्थानः हैदराबाद — अंतरिम प्रस्ताव कर्मी

---

# केवी के 1019 विद्यार्थियों को मिली जेईई एडवांस्ड में सफलता

- आइआइटी रुड़की की ओर से आयोजित परीक्षा में बैठे थे केंद्रीय विद्यालयों के 6094 विद्यार्थी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जून।

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय के अधीन संचालित केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस्ड-2019 में बेहतर परिणाम प्राप्त किया है। केंद्रीय विद्यालयों (केवी) के कुल 6094 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे थे जिनमें से 1019 ने सफलता प्राप्त की। जेईई (एडवांस्ड) देश के विभिन्न आइआइटी में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।

आइआइटी रुड़की ने 14 जून को जेईई एडवांस्ड-2019 का परिणाम घोषित किया था। यह परीक्षा 27 मई को आयोजित की गई थी जिसमें देश भर के 1,61,319 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से 38,705 ने सफलता प्राप्त की। जेईई मेंस के परिणाम 29 अप्रैल को घोषित किए गए थे। इसमें केवी के 21,229 विद्यार्थियों ने भाग लिया जिनमें से 6,094 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस्ड के लिए पात्रता हासिल की थी। आज की तारीख में कुल 1205 केवी चल रहे हैं, जिनमें से तीन विदेश (तेहरान, काठमांडो और मास्को) में स्थित हैं और इनमें 12.75 लाख से अधिक विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

### नवोदय विद्यालय के 966 विद्यार्थी रहे सफल

नवोदय विद्यालय समिति के विद्यालयों के 966 विद्यार्थी जेईई एडवांस्ड-2019 में सफल रहे। नवोदय विद्यालयों के 4,451 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा को दिया था। इसी तरह नीट-2019 देने वाले 14,500 विद्यार्थियों में से 12,654 विद्यार्थी सफल रहे हैं।

# 'भाषण के प्रवाह में बहकर दिया गया था बयान'

नई दिल्ली, 20 जून (भाषा)।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान वन संरक्षण से जुड़े एक कानून को लेकर की गई अपनी टिप्पणी पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नोटिस का जवाब देते हुए कहा है कि वे राजनीतिक भाषण के प्रवाह में बहकर ऐसा बोल गए। दरअसल, गत 23 अप्रैल को मध्य प्रदेश में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, 'नरेंद्र मोदी ने एक नया कानून बनाया है, आदिवासियों के लिए एक नया कानून बनाया है, उसमें एक लाइन लिखी है कि आदिवासियों को गोली से मारा जा सकेगा। कानून में लिखा है कि आदिवासियों पर आक्रमण होगा। आपकी जमीन छीनते हैं, जंगल लेते हैं, जल लेते हैं और फिर कहते हैं कि आदिवासियों को गोली मार दी जाएगी। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए।' इससे जुड़ी मीडिया रिपोर्ट पर आयोग ने तीन मई को गांधी को नोटिस जारी किया था।

---

**RBL BANK**
पंजी. कार्यालयः 1ला लेन, शाहूपुरी, कोल्हापुर- 416001
नियंत्रण कार्यालयः वन इंडिया बुल्स सेन्टर, टावर 2 बी, छठा तल, 841, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल (वेस्ट), मुम्बई-400013

### नीलामी बिक्री सूचना

31.12.2017 को रु. 9,23,83,401/- (रुपए नौ करोड़ तेईस लाख तिरासी हजार चार सौ एक) तथा 1.1.2018 से अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज तथा ऋण की वसूली तक लागत, चार्जेज तथा खर्चे की वसूली के लिए मै. महान प्रोटीन्स लि. को दूध की आपूर्ति करने वाले विभिन्न मिल्क प्रॉड्यूसर्स को स्वीकृति अग्रिमों के लिए आरबीएल बैंक लि. के पास गिरवी रखी गई नीचे वर्णित संपत्ति की वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अधीन सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री

| विवरण | आरक्षित मूल्य (रु.) | ईएमडी | निरीक्षण की तिथि एवं समय | नीलामी की तिथि एवं समय | नीलामी का स्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| खसरा नं. 646, ग्राम बरहान, कासीकलान रोड, मथुरा जिला, उत्तर प्रदेश में स्थित भूमि माप 0.909 हेक्टे. (क्षेत्रफल 0.909 हेक्टे.) (स्वामी -महान प्रोटीन्स लि.)<br>कॉर्पोरेट गारन्टर का नामः मै. महान प्रोटीन्स लि.<br>पर्सनल गारंटर का नामः राजीव गोयल | रु. 58.00 लाख | 2.90 लाख | 2.7.2019 को 11 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. | 9.7.2019 को 3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. | आरबीएल बैंक लि. बिल्डिंग नं. 1, 1ला तल, ओखला फेज 3, मोदी मिल्स के सामने, नई दिल्ली-110020 |

**नियम एवं शर्तें**

1. बोली प्रपत्र तथा बिक्री के नियम एवं शर्तें आरबीएल बैंक लिमिटेड बिल्डिंग नं. 1, 1ला तल, ओखला फेज 3, मोदी मिल्स के सामने, नई दिल्ली-110020 में स्थित हमारी शाखा कार्यालय से रु. 100/- अप्रतिदेय के भुगतान पर किसी भी कार्य दिवस को 10 बजे पूर्वा. से 6.00 बजे अप. के बीच प्राप्त की जा सकती है।
2. बोलीदाता को नीलामी की तिथि को बोली में व्यक्तिगत रूप से भाग लेना होगा तथा आरटीजीएस द्वारा अथवा आरबीएल बैंक लि. के पक्ष में दिल्ली में देय किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक के पे आर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट द्वारा उपरोक्त धरोहर राशि के साथ मुहरबंद लिफाफे में बोली आरबीएल बैंक लिमिटेड, बिल्डिंग नं. 1, 1ला तल, ओखला फेज 3, मोदी मिल्स के सामने, नई दिल्ली-110020 के पास 5.7.2019 के 5.00 बजे अप. या उससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के पास पहुंच जाना चाहिए। आरक्षित मूल्य से कम में बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। बोली के मुहरबंद लिफाफे को नीलामी के स्थान पर वर्णित समय में खोला जाएगा।
3. बोलीदाता को निरीक्षण के लिए उसके ऑरिजिनल तथा पासपोर्ट आकार के एक फोटोग्राफ के साथ केवाईसी दस्तावेजों जैसे पैन कार्ड/ निवास के प्रमाण की स्वतः सत्यापित प्रति को जमा करना होगा।
4. संपत्ति की बिक्री पूरी तरह है ''जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है आधार'' पर होगी तथा इच्छुक बोलीदाता संपत्ति के विरुद्ध यदि कोई हो किसी दावे, चार्जेज, करों, लेवीज, देयताओं एवं/अथवा उपचयित किसी अन्य बकायों के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर सकते हैं। उसका वहन सफल क्रेता को ही करना होगा। वर्तमान उपचयित देयताओं संपत्ति पर यदि कोई हो, बैंक की जानकारी में नहीं है।
5. नीलामी प्रक्रिया में बोली प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त उच्चतम बोली राशि से शुरू होगी तथा उसके बाद बोलीदाता न्यूनतम रु. 25,000/- (रुपए पच्चीस हजार मात्र) में अपनी बोली में वृद्धि कर सकते हैं।
6. सफल बोलीदाता को उनकी बोली की स्वीकृति पर तत्काल अर्थात उसी दिन या अधिकतम अगले कार्य दिवस के 5.00 बजे अप. तक 25% बोली राशि (ईएमडी सहित) का भुगतान करना होगा तथा शेष राशि का भुगतान नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।
7. यदि सफल बोलीदाता ऊपर क्लॉज (6) में वर्णित रूप से 25% बोली राशि का भुगतान करने में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा बिक्री को निरस्त माना जाएगा। इसी प्रकार, यदि बोलीदाता बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर शेष 75% राशि का भुगतान करने में विफल होते हैं तो उनकी 25% बोली राशि जब्त कर ली जाएगी।
8. भुगतान की शर्तों के अनुपालन पर बिक्री पुष्टि के बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के अनुसार सफल बोलीदाता के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा तथा सफल क्रेता को सभी करों, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण प्रभारों तथा सफल बोलीदाता के नाम में बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकृत कराने के लिए अनुषांगिक खर्चे का वहन करना होगा। संपूर्ण बोली राशि की प्राप्ति के बाद ही प्राधिकृत अधिकारी विषय संपत्ति का कब्जा सौंपेगे।
9. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव/ बोली को स्वीकार या निरस्त करने अथवा नीलामी को स्थगित/ निरस्त करने तथा साथ ही बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री के नियमों एवं शर्तों को संशोधित करने का अधिकार है।
10. इच्छुक बोलीदाता टेलीफोन 0124-6105100, एक्स्टें. 614, मोबाईल- 08447733617 पर प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

**सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना**

ऋणधारकों/गारन्टरों को एतद्‌द्वारा सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों के विषय में अवगत कराया जाता है कि बिक्री आयोजित होने से पूर्व किसी भी समय वे बकाया देयता/ चार्जेज/ खर्चे का भुगतान कर प्रतिभूतियों को विमोचित कर सकते हैं अन्यथा संपत्ति की बिक्री/नीलामी कर दी जाएगी तथा शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज एवं लागत के साथ वसूल की जाएगी।

स्थानः मथुरा
तिथिः 21.6.2019

प्राधिकृत अधिकारी
शिवजी प्रसाद
आरबीएल बैंक लि.

---

### प्रपत्र-क
### सार्वजनिक घोषणा

**(भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)**

**सोल्यूशंस बिजनेस सेंटर प्राईवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ**

**संबंधित विवरण**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कॉर्पोरेट ऋणी का नाम | **सोल्यूशंस बिजनेस सेंटर प्राईवेट लिमिटेड** |
| 2. | कॉर्पोरेट ऋणी के समावेश की तिथि | 19 अप्रैल, 2012 |
| 3. | प्राधिकारी जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट व्यक्ति समावेश/पंजीकृत है | कंपनीज़ अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, नई दिल्ली |
| 4. | कॉर्पोरेट पहचान नंबर/ कॉर्पोरेट ऋणी का सीमित देयता पहचान नंबर | CIN: U74900DL2012PTC234514 |
| 5. | कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता | पंजीकृत कार्यालयः एच-69, यूजीएफ, आऊटर सर्कल एचडीएफसी बैंक के ऊपर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 (भारत) |
| 6. | कॉर्पोरेट ऋणी के परिशोधन की शुरुआती तिथि | 14 मार्च, 2019 (आइआरपी द्वारा इ-मेल के माध्यम से आदेश प्राप्ति की तिथिः- 18 जून, 2019) |
| 7. | दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि | 10 सितंबर, 2019 (परिशोधन प्रस्ताव प्रक्रिया की शुरुआत की तिथि से 180 दिन) |
| 8. | अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर के रूप में के कार्यरत दिवालियापन पेशेवर का नाम व पंजीकरण नंबर | हरीश गोयल, रजि. नं. IBBI/IPA-001/IP-P01459/2018-2019/12244 |
| 9. | अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर का पता व इ-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है। | 431, कानूनगो अपार्टमेंट्स, प्लॉट नं. 71, आइ.पी. एक्स्टेंशन, दिल्ली-110092, इ-मेल आइडीः harish_goyal77@hotmail.com |
| 10. | अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर से पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली इमेल तथा पता, यदि क्रम संख्या 9 में दिए विवरण से अलग है | 826, विकास दीप बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट सेंटर लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092, इ-मेलः cirp.sbcpl@gmail.com |
| 11. | दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि | 02 जुलाई, 2019 |
| 12. | अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर द्वारा निर्धारित धारा 21 की उप-धारा (6ए) के खण्ड (बी) के अधीन लेनदार की श्रेणी, यदि कोई है | लागू नही<br>(उपलब्ध जानकारी के अनुसार) |
| 13. | श्रेणी में लेनदार के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में चिह्नित दिवालियापन पेशेवर के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम) | लागू नही<br>(उपलब्ध जानकारी के अनुसार) |
| 14. | (क) संबंधित फार्म और<br>(ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण पर उपलब्ध हैः | (क) वेबलिंकः http://ibbi.gov.in/downloadform.html<br>(ख) भौतिक पताः लागू नही। |

एतद्‌द्वारा सूचना दी जाती है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली ने दिनांक 14 मार्च, 2019 को **सोल्यूशंस बिजनेस सेंटर प्राईवेट लिमिटेड** की कारपोरेट दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया है। **सोल्यूशंस बिजनेस सेंटर प्राईवेट लिमिटेड** के लेनदारों को केवल प्रविष्टि नंबर 10 के अंतर्गत वर्णित पतों पर अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर को 02 जुलाई, 2019 को या उस से पूर्व अपने दावों को प्रमाण सहित प्रस्तुत करने के लिए एतद्‌द्वारा आमंत्रित किया जाता है।

वित्तीय लेनदारों को केवल इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदारों अपने दावे व्यक्ति, डाक द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रविष्टि नंबर 12 कें अंतर्गत सूचीबद्ध अनुसार श्रेणी से संबंधित वित्तीय लेनदारों को फार्म सीए में श्रेणी (निर्दिष्ट श्रेणी) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि संख्या 13 के अंतर्गत सूचीबद्ध 3 दिवालियापन पेशेवरों से प्राधिकृत प्रतिनिधि की वरीयता को दर्शाना होगा।

**गलत या भ्रामक प्रमाणों को प्रस्तुत करना जुर्माने का हकदार होगा।**

तिथिः 21.06.2019 — ह./- हरीश गोयल,
स्थानः नई दिल्ली — सोल्यूशंस बिजनेस सेंटर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर
रजि. नं.: IBBI/IPA-001/IP-P01459/2018-2019/12244

---

# कैलाश मानसरोवर श्रद्धालुओं का पहला जत्था तिब्बत पहुंचा

पिथौरागढ़, 20 जून (भाषा)।

कैलाश मानसरोवर यात्रा के 58 श्रद्धालुओं का पहला जत्था गुरुवार को लिपुलेख दर्रे के जरिए तिब्बत पहुंच गया। यात्रा की नोडल एजंसी कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) के महाप्रबंधक अशोक जोशी ने बताया कि श्रद्धालुओं का पहला जत्था सुबह सवा आठ बजे 17500 फीट ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे को पार कर तिब्बत में पहुंच गया। जोशी ने कहा कि पहले जत्थे के अलावा, श्रद्धालुओं के दो अन्य बैच भी लिपुलेख दर्रे के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि दल के सभी सदस्यों का गुंजी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के चिकित्सकों ने चेकअप किया था।

---

**पंजाब नैशनल बैंक** ...भरोसे का प्रतीक !

## भौतिक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

सिक्योरिटीजाइजेशन एवं रिक्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियमों 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों/गारन्टरों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाए गए खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख/उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी/ऋणियों/गारन्टरों द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी/ऋणियों/गारन्टरों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्येक खाते के सामने दी गई तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति/सम्पत्तियों का **भौतिक अधिग्रहण** कर लिया है। ऋणी/ऋणियों/ गारन्टरों/बंधककर्ताओं को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति/सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन पंजाब नैशनल बैंक को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

| क0 सं0 | शाखा का नाम | खाते का नाम खाता सं0 | ऋणकर्ता का नाम और पता | बंधक सम्पत्ति का विवरण | मांग नोटिस की तिथि,मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि | भौतिक कब्जे की तिथि | प्राधिकृत अधिकारी का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मंगल पांडे नगर, मेरठ | श्री निखिल पवार पुत्र श्री मोहन सिंह मकान नं 115 , मौहल्ला हरिनगर, मेरठ यूपी | श्री निखिल पवार पुत्र श्री मोहन सिंह मकान नं 115 ,मौहल्ला हरिनगर, मेरठ यूपी | आवासीय मकान नं. 115 क्षेत्रफल 150 वर्ग गज खसरा नं 182/2 का शेष भाग मौहल्ला हरि नगर राजस्व गॉव दंतल परगना तहसील सीमायें:- पूर्वः 21 फीट 6 इंच गजेंद्र और एस.पी. सिंह का मकान, पश्चिमः 21 फीट 6 इंच रास्ता 25 फीट चौड़ा, उत्तरः 62 फीट 6 इंच श्री धीरज सिंह का मकान, दक्षिणः 62 फीट 6 इंच/श्री सुभाष सिंह का मकान | 12.04.2018<br>रु. 65,94,115.00 + ब्याज व अन्य खर्चे | 19-06-2019 | श्री अविनाश कुमार, फोन 9771430208 |

दिनांकः- 20.06.2019 — स्थानः- मेरठ — प्राधिकृत अधिकारी

---

**दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कार्यालय अधिशासी अभियंता ई-3
विकास कुटीर, आई.पी एस्टेट, नई दिल्ली-110002

### ई-निविदा हेतु आमंत्रण सूचना

**कार्य का नाम** : ईआईयूएस
**उपशीर्ष** : ई-3 के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न जेएससी में हाई मास्ट लाईट की सप्लाई, इन्सटॉलेशन, टेस्टिंग एवं कमीशनिंग।

| | |
|---|---|
| अनुमानित लागत | : रु. 81,90,560/- |
| धरोहर राशि | : रु. 1,65,000/- |

निविदा आईडी संख्या : **11/EE(E-3)/DUSIB/19-20**
निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारियों को ई-प्रोक्योरमेन्ट वेबसाईट **https://govtprocurement.delhi.gov.in** से प्राप्त किया जा सकता है।
निविदा बिक्री आरंभ होने की तिथि : **21.06.2019**
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : **02.07.2019** को अपराह्न **3.00** बजे
निविदा खुलने की की तिथि : **02.07.2019** को **3.30** बजे

अधिशासी अभियंता (ई- 3)

---

### सार्वजनिक उद्‌घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 (3) के साथ पठित विनियमन 31 (2)]

**ईजी टेक ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड-परिसमापन में, के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ**

भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के (''विनियमन'') के विनियमन 31 के अनुपालन में एतद्‌द्वारा कम्पनी के सभी शेयरधारकों के लिए यह सार्वजनिक उद्‌घोषणा की जाती है कि कम्पनी के स्टेकधारकों की सूची 18 जून, 2019 को माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ II के पास दाखिल कर दिया गया है।

चूंकि कॉर्पोरेट ऋणधारक का कोई कार्यरत वेबसाईट नहीं है, अतः समय-समय पर संशोधित राशि सहित, परिसमापक द्वारा स्वीकृत दावे की राशि, उस सीमा तक जिसमें दावे प्रतिभूत/ अप्रतिभूत हैं, के सम्पूर्ण विवरणों को दर्शाते हुए स्टेकधारकों तथा अंशतः स्वीकृत/निरस्त तथा पूर्णतः अस्वीकृत प्रमाणों, यदि कोई हो, के विवरणों के साथ स्टेकधारकों की सूची अधोलिखित लिंक पर परिसमापक की वेबसाईट पर देखी जा सकती है।

**"http://www.llcairp.com/easytech-global-pvt-ltd-2/**

स्टेकधारकों को पुनः अधिसूचित किया जाता है कि माननीय एनसीएलटी नई दिल्ली पीठ II के पास दाखिल की गई स्टेकधारकों की सूची में प्रविष्टि में कोई भी संशोधन केवल माननीय एनसीएलटी नई दिल्ली पीठ II के पास आवेदन दाखिल कर तथा पीठ द्वारा निदेशित प्रक्रिया में ही किया जा सकता है।

हस्ता./-
अखिलेश कुमार गुप्ता (परिसमापक)
मै. ईजी टेक ग्लोबल प्रा. लि.-परिसमापन में
IBBI पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00780/2017-2018/11353
पताः लूथरा एंड लूथरा रीस्ट्रक्चरिंग एंड इन्सॉल्वेन्सी एडवायजर्स
एलएलपी, ए-16/9, बसंत विहार, नई दिल्ली-110057, भारत
ई-मेल आईडीः egpl.rp@llca.net

तिथिः 19 जून 2019
स्थानः नई दिल्ली

---

**SBI**
**भारतीय स्टेट बैंक**
(भारत सरकार का उपक्रम)
शाखा कार्यालयः सेक्टर 11, फरीदाबाद मैन शाखा, फरीदाबाद-121006
फोनः 9917474563, ईमेलः b.5106@sbi.co.in

**ई-नीलामी बिक्री सूचना**

**चल तथा अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी के लिये सार्वजनिक सूचना**

ईएमडी (धरोहर राशि भुगतान) तथा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 17.7.2019 के 4.00 बजे अप. तक है

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 की सं. 54) के अंतर्गत बैंक के पास गिरवी अचल सम्पत्ति की बिक्री। जैसा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के प्राधिकृत अधिकारी ने बैंक के बकाये की वसूली के लिये ''जैसा है जहां है'' तथा ''जो भी वहां है आधार'' पर उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ हमारी शाखा में निम्न ऋण खाता में वित्तीय परिसम्पत्तियों के परतभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुपालन में निम्न सम्पत्ति/ यों का कब्जा कर लिया था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री वेबसाईट www.bankeauctions.com पर दी गई ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जायेगी।

**अचल सम्पत्तियों का विवरण**

| क्रम सं. | शाखा एवं खाता का नाम | विवरण तथा सम्पत्ति के स्वामी | मांग सूचना तिथि/ भौतिक कब्जा की तिथि बकाया राशि (प्रतिभूति ऋण) | ईएमडी जमा करने की खाता का विवरण | आरक्षित मूल्य ईएमडी राशि बोली वृद्धि | ई-नीलामी की तिथि एवं समय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | शाखाः सेक- 11, फरीदाबाद मुख्य शाखा ऋणधारक/ खाताः श्रीमती वीणा अरोड़ा पत्नी प्रेम चन्द्र एवं श्री प्रेम चन्द्र पुत्र नंद लाल | श्रीमती वीणा अरोड़ा तथा श्री प्रेम चन्द्र के नाम में एच.नं. 5 ए/ 5 (दक्षिण पश्चिम भाग) भू तल, ब्लॉक-ए, एनएच-5, एनआईटी, फरीदाबाद, माप 155.50 वर्ग याईस (हरियाणा) | 2.9.2016<br>15.2.2017<br>01.09.2016 को रु. 4955553.63 तथा आगे का ब्याज एवं सांविधिक खर्चे | ई-नीलामी खाताः वीणा अरोड़ा तथा श्री प्रेम चन्द्र खाता नं. 98525501060, आईएफएससीः SBIN0050106 | रु. 47,50,000/-<br>रु. 4,75,000/-<br>रु. 10000/- | 18.7.2019 को 11 बजे पूर्वा. से 12 बजे दोप. तक प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ। |

**नियम एंव शर्तेः**

1. यह नीलामी ''जैसा है जहां है'' तथा ''जो भी जैसा है'' आधार पर आयोजित होगी।
2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में सम्पत्ति पर कोई अधिभार नहीं है। लेकिन, इच्छुक बोलीदाता अधिभारों, सम्पत्तियों के टाइटल से संबंधित अपनी स्वतंत्र जांच कर लें एवं निरीक्षण कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। सम्पति का निरीक्षण 10.7.2019 को 11.00 बजे पूर्वा से 2.00 बजे अप. के बीच किया जा सकता है।
3. **ईएमडी राशि जमा किये होने वाले इच्छुक बोलीदाताओं जिन्हें लागिन आईडी एवं पास्वर्ड बनाने, डैटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि की जरूरत हो, वे मै. सी 1 इंडिया प्रा. लि., उद्योग विहार, फेज-2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं.301, गुड़गांव, हरियाणा-122015, ईमेल आईडीः support@bankeauctions.com, सपोर्ट हेल्पलाइन नम्बरोंः** 0214-4302020/21/22/23, 7291981124/1125/126, **बिक्री पूछताछः sales@bankeauctions.com,** 7291981129 **से सम्पर्क करें तथा सम्पत्ति संबंधी किसी भी पूछताछ के लिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मनोज कुमार, मो.:** 9917474563, **ईमेल आईडीः b5106@sbi.co.in, वेबसाईटः www.sbi.com से सम्पर्क करें।**
4. बैंक ने ऑन लाइन बोली रखने के लिये इच्छुक बोलीदाताओं की सहायता के लिये मुख्य शाखा, प्लॉट नं. बी-11, सेक्टर-11, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा में अपनी शाखा कार्यालय को पदनामित किया है।

**(विस्तृत नियमों तथा शर्तों के लिये कृपया वेबसाईट www.bankeacutions.com देखें)**

**यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत ऋणधारक तथा गारन्टर (एल/आई) के लिये 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना भी है।**

हस्ता/-
तिथिः 20.06.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः फरीदाबाद — भारतीय स्टेट बैंक के लिये

---

**पंजाब नैशनल बैंक** ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

बीओः परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा
मयूर विहार फेज-II, पॉकेट ''ई'' कामर्सियल शॉपिंग
कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110091
ईमेलः bo8075@pnb.co.in, फोन नं. 011-22779758, 22785289

### सार्वजनिक सूचना

एतद्‌द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित खाताओं के ऋणधारक/एकाकी प्रॉपाईटर/निदेशक ने बैंक से ऋण सुविधाऐं प्राप्त की थी तथा उसके पुनर्भुगतान में चूक के कारण उनकी खाताओं को दर्शाई गई तिथियों को एनपीए घोषित कर दिया गया है। बैंक द्वारा इन ऋणधारकों/एकाकी प्रॉपाईटर/निदेशक को ''जान-बूझकर चूककर्ता'' घोषित कर दिया गया है। इन ऋणधारकों/एकाकी प्रॉपाईटर/निदेशकों को उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य लागतों/धनों के साथ नीचे वर्णित राशि का बैंक को भुगतान करना है जिसके लिये बैंक ने उनके विरुद्ध वसूली कार्रवाई शुरू की है। जन हित में सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा जन-बूझकर चूककर्ता घोषित कर दिये जाने के बाद ऋणधारक किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये अधिकृत नहीं हैं।

श्री भरत आर चौधरी, निदेशक

**खाता का नामः मै. फोर सीजन राइस सॉर्टेक्स पी लि.** एनपीए की तिथिः 31.12.2012
बकाया राशिः रु. 15.99 करोड़ तथा एनपीए की तिथि से अद्यतन ब्याज

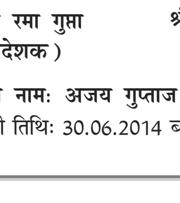

श्रीमती रमा गुप्ता (निदेशक)

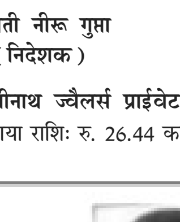

श्रीमती नीरू गुप्ता (निदेशक)

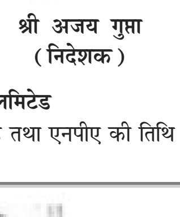

श्री अजय गुप्ता (निदेशक)

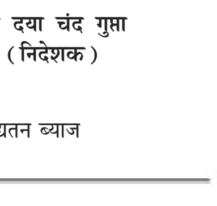

श्री दया चंद गुप्ता (निदेशक)

**खाता का नामः अजय गुप्ताज श्रीनाथ ज्वैलर्स प्राईवेट लिमिटेड**
एनपीए की तिथिः 30.06.2014 बकाया राशिः रु. 26.44 करोड़ तथा एनपीए की तिथि से अद्यतन ब्याज

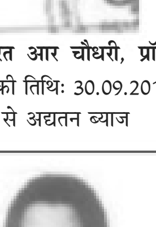

श्री भरत आर चौधरी, प्रॉपाईटर

**खाता का नामः मै. ज्यूपिटर ट्रेडिंग क.,** एनपीए की तिथिः 30.09.2012,
बकाया राशिः रु. 9.52 करोड़ तथा एनपीए की तिथि से अद्यतन ब्याज

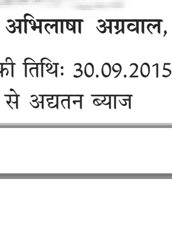

श्रीमती अभिलाषा अग्रवाल, निदेशक

**खाता का नामः मै. एफ ई इंडिया लि.,** एनपीए की तिथिः 30.09.2015,
बकाया राशिः रु. 91.71 करोड़ तथा एनपीए की तिथि से अद्यतन ब्याज

तिथिः 19.06.2019, स्थानः नई दिल्ली — शाखा इन्कम्बैन्ट